


# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्र.सं.	फर्क अहकाम	
मुं० नं० ५३/१६	तारीख रजु १२-७-१६	
	उगवान - गिरधारी कागस रामहरी की० गाता सूला प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा	
	प्रार्थी की ओर से सुरेश चन्द्र शर्मा नि. व. ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। ज्ञापन पत्र व जमा कर का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी गणों को नोटिस से तालम कर पचावली दिनांक २०-७-१६ को पेश है।	1856-70 12-7-16
	 उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)	
२०-७-१६	प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थी का ६.८ की ताफिल है युकी है। अन्य की ताफिल परिपारजन के द्वारा हुई है। पक्ष कोरेली मिटिंग में पद्योर है। वास्तु अग्रिम सोदेश दिनांक ५-८-१६ को पेश है।	
५-८-१६	प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थी नं. १, ५ का ११ की ओर से श्री सुनील कुमार जिंदल Adv. ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी वकील अप्रार्थी नं. २, ३, १२, १३, १४, की ओर: नलमी हेतु तलवाना पेश करे। अप्रार्थी नं. १५ के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के अग्रदेश दिये जाते हैं। वकील उपाय पक्ष की प्रार्थना पत्र नं. ५८ अतिरिक्त के लिए बहस सुनी गई। मनन किया गया। पचावली का अवलोकन किया गया। गणम माधोपुरा की आराजी खसरा नम्बर २५५/६५५ ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०/६५६, ३५५/६५७ कुल खसरा	

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
4-9-17	जनरल पेशी से पेश हुई। वकूलाय उप०। प. ०. सादर करौली पधारे हैं। गतानुसार दि० 6.10.17 को पेश हो।
6.10.17	वकूलाय उप०। अर्धी वकील ने मोटिस तलवाना पेश कले का पुनः सप-पाहा। अर्धी वकील को सुनान मोटिस तलवाना पेश कले एक गेरा डों रिघा जाता है। कले तलवाना पेश कर तलवी कले दि० 30.10.17 को पेश हो।
30.10.17	वकूलाय उप०। गतानुसार दि० 29.11.17 को पेश हो।
29.11.17	पत्रावली पेश हुई। अर्धी वकील उपस्थित। कोर्ट वार आवाज दिलाई गई। फिर अर्धी वकील एवं अर्धीयान की ओर से कोर्ट भी उपस्थित नहीं है। अतः यह अर्धीयान पत्र अख्याई निवेदाज्ञा का अदम हाजिरी अदम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।